



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-292/2021 दिनांक 22.10.2021)

दिनांक- 22.10.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

अवैध शराब ब्रिकी/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(05)

थाना जटहांबाजार-

थाना जटहांबाजार पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त गोविन्द पुत्र सीताराम साकिन अन्नन छपरा केशव पट्टी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-125/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1.राजकमल पुत्र बालखिला प्रसाद साकिन दोघरा मुसहरटोली थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 2. रामबिलास पुत्र स्व0 पतिराम प्रसाद निवासी दोघरा मूसर टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 3. छोटेलाल मुसहर पुत्र सुखल साकिन दहारी पट्टी थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 ली0 कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः अन्तर्गत मु0अ0सं0-254/21,255/21,257/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना विशुनपुरा-

थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुनील दुबे पुत्र स्व0 हरिहर दुबे थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-233/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पशु कुरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-(कुल-01)

थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त निलेश पुत्र बैरिस्टर कुशवाहा साकिन गोपालपुर थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 राशि गाय, 03 राशि बछड़ा बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 456/21 धारा 11 पशु कुरता अधिनियम में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-02)

थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों रामश्री खरवार उर्फ रामजी खरवार पुत्र सरजू खरवार निवासी लुहठहा थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर व एक अन्य को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 231/21 धारा 498A,304B भा0द0वि0 व 3 /4 डीपी एक्ट में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 15 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-68 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-19, व्यक्ति-49
3. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-02)
- 4.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-05, अभि0-05, बरामदगी- 50 ली0 कच्ची शराब।
5. पशु कुरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-01, बरामदगी-03 राशि गाय, 03 राशि बछड़ा
- 6.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-23)

मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर